SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. 1st YEAR SESSION – 2021-23

SUBJECT - C-6, (Gender, School, & society)

TOPIC NAME – राज्य एवं प्रमुख कानूनी अनुच्छेद

DATE - 12.01.22

---

1. राज्य एवं प्रमुख कानूनी अनुच्छेद :-

भारत में स्त्री पुरुष को समान अधिकार देने के लिए अनेक प्रयास किये गए है। स्त्रीयो को पुरुषो के समान अधिकार प्राप्त है। इसके लिए संविधान के अनु० 14 में स्त्री और पुरुष के मध्य भेद-भाव समाप्त करने और महिलाओ को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की बात कही है।

⇒ अनु० 15 में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेद-भाव को रोकने की व्याख्या कि गई।

⇒ अनु० 16 में सरकारी नौकरी में महिलाओ को भी पुरुषो कि बराबर अवसर दिलाने की बात कही गई है।

⇒ अनु० 39 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह स्त्रियो और पुरुषो की आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए।

⇒ अनु० - 51A(e) में प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओ की मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य न करें।

इन संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी स्त्रियों और पुरुष में भेद-भाव किया जाता रहा है। महिलाओं को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए भारतीय सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था।

कानून द्वारा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में उत्थान के लिए 26 Oct. 2006 को 'घरेलू हिंसा अधिनियम' लागू किया गया। जिससे स्त्रियों की लैंगिक स्थिति मजबूत हुई।

⇒ धारा 366 के द्वारा कानून महिलाओं की शादी करने के लिए विवश, तथा अपहरण करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान करता है।

⇒ धारा 494 के द्वारा स्त्रियों की हितों की रक्षा करने हेतु एक पत्नी के रहते दुसरा विवाह करने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

⇒ धारा 498 के द्वारा स्त्रियों का अपमान करने, क्रूरता पूर्ण व्यवहार करने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

⇒ धारा 498 (A) में दहेज इत्यादि विषयों पर सजा वर्णित है।

⇒ धारा 306 के द्वारा यदि किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता है तो $2\frac{1}{2}$ वर्ष की सजा का प्रावधान है।

⇒ धारा 509 के द्वारा स्त्रियों के प्रति अपशब्दों के प्रयोग पर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

⇒ धारा 376 के द्वारा बलात्कार हेतु 10 वर्ष की सजा या उम्रकैद की प्रावधान है।

⇒ धारा 354 के अन्तर्गत बलात्कार के प्रयास में 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

⇒ सामाजीकरण की प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका :

सामान्य रूप में 'जनसंचार माध्यम' का अभिप्राय है ऐसे अभिकरण जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ, दूर-दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाये। इस प्रकार के साधन हैं- रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र आदि। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। आधुनिक युग में जन-संचार शिक्षा का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। इन साधनों के माध्यम से बहुत कम समय में एक साथ बहुत अधिक लोगों को प्रभावित किया जा सकता है।

⇒ शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम का महत्व एवं आवश्यकता :

1. सामाजिक दृष्टि से जनसामान्य में जागरूकता पैदा करना।
2. दिन-प्रतिदिन की देश-विदेश की घटनाओं से जनसामान्य को अवगत कराकर उन्हें देश-विदेश से जोड़े रखना।
3. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यवस्तु अथवा सूचनाओं को सरल बनाना।

4. देश के विभिन्न भागों की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के प्रदर्शन द्वारा जन-सामान्य को अपने देश की संस्कृति से अवगत कराना।

5. समाचार-पत्र, पत्रिकाओं, इलेक्ट्रॉनिक आदि से जन-सामान्य को एक जागरूक नागरिक बनाना।

6. सूचनाओं को निश्चित से दूर-दूर तक पहुँचाना।